राजस्थान सरकार
निदेशालय विशेष योग्यजन

जी 3/1 ए, राजमहल होटल के पीछे, सिविल लाईन, जयपुर
फोन नं.– 0141-2222249/2222267 ईमेल :- sjeraj_dis@yahoo.com

क्रमांक : एफ 16(1)( )नि.वि.यो./ASO/2017/ 11360-92 जयपुर, दिनांक 03/10/17

समस्त जिला कलक्टर
जिला..... ....

विषय :– 'वर्ल्ड डिसएबिलिटी डे' के अवसर पर 3 दिसम्बर, 2017 को वर्ष 2017–18 के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह हेतु प्रस्ताव प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30.09.17 से बढ़ाकर 29.10.17 करने के क्रम में।

संदर्भ :– निदेशालय का पत्र क्रमांक : एफ 16(1)( )नि.वि.यो./ASO/2017/9770–9802 दिनांक 11.09.17 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र का अवलोकन करावें जिसके द्वारा राज्य के सर्वश्रेष्ठ विशेष योग्यजनों एवं विशेष योग्यजनों के क्षेत्र में कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों/संस्थाओं को नीचे वर्णित श्रेणियों में 'वर्ल्ड डिसएबिलिटी डे' के अवसर पर 3 दिसम्बर, 2017 को वर्ष 2017–18 के लिए राज्य स्तरीय विशेष योग्यजन पुरस्कार योजना में सम्मानित करने हेतु प्रस्ताव भिजवाये जाने है। विवरण निम्नानुसार है :–

1. सर्वश्रेष्ठ विशेष योग्यजन कर्मचारी/स्वनियोजित विशेष योग्यजन पुरस्कार
2. सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं तथा प्लेसमेंट अधिकारी या एजेंसी के लिए पुरस्कार
3. विशेष योग्यजन व्यक्तियों के निमित्त कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति तथा संस्था के लिए पुरस्कार
4. प्रेरणा स्त्रोत पुरस्कार
5. विशेष योग्यजन व्यक्तियों के जीवन सुधारने के निमित्त सर्वश्रेष्ठ अनुप्रयुक्त अनुसंधान या नवप्रवर्तन या उत्पाद विकास के लिए पुरस्कार
6. विशेष योग्यजन व्यक्तियों के लिए बाधामुक्त वातावरण के सृजन में उत्कृष्ठ कार्य के लिए पुरस्कार
7. पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने में सर्वश्रेष्ठ जिले के लिए पुरस्कार
8. राज्य स्तरीय विशेष योग्यजन वित्त और विकास निगम की सर्वश्रेष्ठ राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी के लिए पुरस्कार
9. उत्कृष्ठ सृजनशील वयस्क विशेष योग्यजन व्यक्तियों के लिए पुरस्कार
10. सर्वश्रेष्ठ सृजनशील विशेष योग्यजन बच्चे के लिए पुरस्कार
11. सर्वश्रेष्ठ ब्रेल प्रेस
12. सर्वश्रेष्ठ सुगम्य वेबसाइट
13. विशेष योग्यजन व्यक्तियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में सर्वश्रेष्ठ राज्य (जिलों के लिए लागु नहीं है)
14. सर्वश्रेष्ठ विशेष योग्यजन खिलाड़ी

1. उक्त पुरस्कारों के लिये गाइडलाइन व आवेदन प्रारूप पृथक–पृथक तैयार किए गए हैं, जो कि विभाग की वेबसाइट http://sje.rajasthan.gov.in/ पर भी उपलब्ध है एवं आपको ई–मेल व डाक से भी भिजवाये जा रहे है।

2. संबंधित आवेदक उक्त वर्णित श्रेणियों में से (पात्रतानुसार) आवेदन पत्र जिले के जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में दिनांक 29.10.17 तक या इससे पूर्व जमा करवाना आवश्यक होगा। इसके बाद प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जावें, प्राप्त आवेदन पत्रों के संबंध में जिला स्तरीय गठित कमेटी द्वारा समीक्षा एवं अंतिम चयन किया जायेगा। इसके बाद **प्रस्ताव आपकी स्पष्ट अभिशंषा सहित दिनांक 06.11.17 तक** निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर को जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के किसी कार्मिक के साथ भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। जिला स्तरीय कमेटी की बैठक 30.10.17 से 05.11.17 के मध्य की जानी आवश्यक है।

3. आवेदक अपनी श्रेणी के निर्धारित प्रपत्र में वर्णित आवश्यकता अनुसार अपने 3 फोटोग्राफ (निःशक्तता दर्शाता हुआ) एवं 40 प्रतिशत या इससे अधिकता का निःशक्तता प्रमाण–पत्र अवश्य संलग्न करें।

4. निर्धारित आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अति आवश्यक संलग्न होने चाहिए –
   1. तीन पासपोर्ट साइज फोटो (अलग–अलग श्रेणियों के अनुसार),
   2. आवेदन पत्र में आवेदक के हस्ताक्षर एवं **संस्तुति करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर** होना अति आवश्यक है।

3. सभी आवेदक आवेदन पत्र में वर्णित जानकारी के अलावा आवेदक द्वारा अर्जित की गई विशिष्ट उपलब्धियों का विवरण अपने हस्ताक्षर सहित हिंदी भाषा में टाईप करके एवं विशिष्ट उपलब्धियों का दस्तावेज भी संलग्न करें।

4. सम्पूर्ण आवेदन पत्र एवं समस्त दस्तावेज स्पष्ट एवं पठनीय हो जो कि स्पाईरल बाइंडिंग किया हुआ हो एवं आवेदन पत्र एवं समस्त दस्तावेजों में आवेदक के हस्ताक्षर हो।

5. उपरोक्तानुसार कार्यवाही करवाकर निर्धारित श्रेणी, निर्धारित प्रारूप एवं संबंधित दस्तावेजों सहित आपकी स्पष्ट अभिशंषा सहित प्रस्ताव दिनांक 06.11.2017 तक निदेशालय को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्मिक के साथ भिजवाये जाने की आवश्यक कार्यवाही करवायें। आपकी स्पष्ट अभिशंषा नहीं होने एवं निर्धारित तिथि 06.11.2017 के पश्चात् निदेशालय को प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

6. अतिमहत्वपूर्ण :– पुरस्कार हेतु सभी श्रेणियों के लिए निर्धारित प्रारूप (अनुबंध) के साथ परिशिष्ठ भी तैयार किया गया है। परिशिष्ठ पर जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा अंक देकर आवेदक द्वारा किये गये विशिष्ठ कार्यो का विवरण भी अंकित करना है। इस परिशिष्ठ पर जिला स्तरीय चयन समिति के हस्ताक्षर होना अतिआवश्यक है एवं निर्धारित प्रारूप (अनुबंध) पर जिलाधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर होना आवश्यक है। अधूरे आवेदन पत्र निदेशालय को प्रेषित नहीं किये जावे।

7. जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा योग्य पाये गये प्रस्तावों के बाद भी आपकी अभिशंषा का प्रारूप निम्नानुसार है, (अभिशंषा का प्रारूप)

> **कार्यालय जिला कलक्टर**
>
> क्रमांक .... दिनांक
>
> राज्य स्तरीय पुरस्कार, 2017 से सम्मानित करने हेतु श्री / श्रीमती / संस्था .... का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव की समीक्षा एवं अंतिम चयन जिलास्तरीय चयन समिति द्वारा किया गया है, समिति की अनुशंषा के आधार पर श्री / श्रीमती / संस्था.. को राज्य स्तरीय पुरस्कार–2017 से सम्मानित करने हेतु अभिशंषा की जाती है।
>
> **जिला कलक्टर हस्ताक्षर मय मोहर**

8. **स्मरणीय बिन्दु :–**

1. आवेदकों से प्रस्ताव प्राप्त करने की अंतिम दिनांक 30.09.17 से बढ़ाकर 29.10.17 की जाती है।
2. जिला स्तरीय चयन समिति की बैठकें 30.10.17 से 05.11.17 तक रखी जानी है।
3. निदेशालय में प्रस्ताव प्राप्त होने की अंतिम दिनांक 06.11.17 रखी गई है।

उपरोक्तानुसार पत्र में वर्णित बिंदु संख्या–1 से 8 की पालना सुनिश्चित कर ही प्रस्ताव निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करावें।

इसे अति आवश्यक समझे।

(डॉ0 समित शर्मा)
निदेशक
एवं विशिष्ठ शासन सचिव

क्रमांक : एफ 16(1)( )नि.वि.यो./ASO/2017/ 11397-429   जयपुर, दिनांक 03/10/17

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
3. जिलाधिकारी, सान्याअवि को उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु पालनार्थ प्रेषित है।
4. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक), सान्याअवि को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रस्तुत है।
5. सहायक निदेशक (जन सम्पर्क), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर को उपरोक्तानुसार समाचार–पत्रों में प्रेस नोट प्रकाशित करवाने एवं इलैक्ट्रानिक्स मीडिया में निःशुल्क प्रचार प्रसार करवाना सुनिश्चित करावें।

(अमिताभ कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक